न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 143/2022 दायर दिनाँक 16.06.2022

वादी		प्रतिवादी
1. शिवदानाराम पुत्र मोतीराम, जाति जाट, उम्र 46 वर्ष, निवासी डाबड़ा, तहसील डीडवाना जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्

बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा–53, 88, 188

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत बलारा एडवोकेट वादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 21.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 479 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 480 रकबा 1.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.1500 हैक्टर वाके डाबड़ा स्थित है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है तथा अन्य खातेदारो के खिलाफ वादी कोई सहायता नहीं चाहता है, तथा अन्य खातेदारान की खातेदारी यथावत रहेगी। खेतो की खातेदारी में गलती से वादी शिवदानाराम के नाम की जगह श्योदानाराम दर्ज हो गया, जबकि सही नाम शिवदानाराम ही है।

यह है कि वादी के पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिवार कार्ड, जोब कॉर्ड व जनआधार कार्ड सभी दस्तावेजात में वादी का नाम शिवदानाराम पुत्र मोतीराम, जाति जाट, निवासी डाबड़ा दर्ज है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन श्योदानाराम दर्ज हो गया, जिसके कारण वादी को सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी अड़चने आने लग गयी है। जिसके कारण वादी को अपने नाम की दुरूस्ती करवाना जरूरी हो गया है तथा वादी अपने नाम की दुरूस्ती करवाने का जायज अधिकारी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया, लेकिन प्रतिवादी बावजुद तामिल के अनुपरिथत होने से उसके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया। अतः वाद विरुद्ध वाद वादी डिक्री किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

—:: आदेश ::—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 479 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 480 रकबा 1.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.1500 हैक्टर वाके सरहद डाबड़ा की खातेदारी में श्योदानाराम पुत्र मोतीराम की जगह शिवदानाराम पुत्र मोतीराम किया जाता है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री पर्चा, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर (नागौर) डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 21.07.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर (नागौर) डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 143/2022 दायर दिनाँक 16.06.2022

वादी

1. शिवदानाराम पुत्र मोतीराम, जाति जाट, उम्र 46 वर्ष, निवासी डाबड़ा, तहसील डीडवाना जिला—नागौर, राजस्थान।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. श्रीमान तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 21.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिंह बलारा एडवोकेट, रणजीत बलारा एडवोकेट वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, खेत खसरा सं0 479 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा संख्या 480 रकबा 1.4300 हैक्टर, खसरा संख्या 482 रकबा 0.1500 हैक्टर वाके सरहद डाबड़ा की खातेदारी में श्योदानाराम पुत्र मोतीराम की जगह शिवदानाराम पुत्र मोतीराम किया जाता है, इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती की जाती है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

डिक्री पर्चा, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........—.......... मुबलिंग............—............... बाबत.....................—............ ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........—......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 21.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर वाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 — —		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः—इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 13:55:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner